संख्या-16/2026/50/छप्पन-2026/56-1009(003)/1/2022

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2026

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर नागरिक उड्डयन निदेशालय के पायलटगण को मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग तथा इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-04/ना0उ0नि0/आप्स-17/2024, दिनांक 09 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-56/2025/593/ छप्पन-2025 दिनांक 02 जून, 2025 द्वारा पूर्व में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर प्रा०लि०. बैंगलोर से प्राप्त ई-मेल दिनांक 01 दिसम्बर, 2025, जिसमे माह अक्टूबर, 2025 से बढ़ोत्तरी दर्शित किया गया है, के क्रम में प्रति पायलट रू0 24,000/- + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की दर से शेष 03 पायलट की ट्रेनिंग कुल धनराशि रू0 72,000/- + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि शासनादेश संख्या-56/2025/593/ छप्पन-2025 दिनांक 02 जून, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नागरिक उड्डयन निदेशालय के 07 पायलटगण में से कै0 सुनील कौरा को दिनांक 25 अप्रैल, 2025 से 26 अप्रैल, 2025 तक, बेल-412 हैलीकाप्टर के सिमुलेटर पर मेसर्स हैट्स ऑफ हैलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0 लि0, बैंगलोर के सिमुलेटर पर 02 घंटे की इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग Flight Training Device (FTD) पर तथा 02 घंटे की क्रिटिकल ट्रेनिंग Full Flight Simulator (FFS) पर कराये जाने हेतु प्रशिक्षण की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति; तथा अन्य 06 पायलट गण कै0 ए0के0 भूटानी को जुलाई, 2025 में , कै0 दीपक श्रीवास्तव को अगस्त, 2025 में, कै0 राजेश कुमार शर्मा को सितम्बर, 2025; कै0 अनूप सिंह को अक्टूबर, 2025 में; कै0 एस0के0 गिरि को नवम्बर, 2025 में; एवं कै0 जी0एस0 पड्डा को जनवरी, 2026 में (02 प्रशिक्षण दिवस तथा 02 यात्रा दिवस अतिरिक्त) को बेल-412 हैलीकाप्टर के सिमुलेटर पर मेसर्स हैट्स ऑफ हैलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0 लि0, बैंगलोर के सिमुलेटर पर 02 घंटे की इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग Flight Training Device (FTD) पर तथा 02 घंटे की क्रिटिकल ट्रेनिंग Full Flight Simulator (FFS) पर कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति तथा समस्त पायलटगण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 33,04,000/- (रूपए तैंतीस लाख चार हजार मात्र) (रू0 4,72,000/-प्रति पायलट की दर से) (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त) की वित्तीय स्वीकृति तथा यात्रा व्यय यथा समय टी0ए0/डी0ए0 बिल सम्बन्धित पायलट द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों/कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व में प्राप्त पूर्व में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर प्रा०लि०. बैंगलोर से प्राप्त ई-मेल दिनांक 01 दिसम्बर, 2025, जिसमे माह अक्टूबर, 2025 से बढ़ोत्तरी दर्शित किया गया है, के क्रम में प्रति पायलट रू0 24,000/- + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की दर से शेष 03 पायलट की ट्रेनिंग कुल धनराशि रू0 72,000/- + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की अतिरिक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत प्रशिक्षण के सन्दर्भ में मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू द्वारा पायलटगण के प्रशिक्षण की आवंटित तिथि में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो ऐसी दशा में श्री राज्यपाल द्वारा मात्र प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया जाता है कि मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू से प्रशिक्षण की वास्तविक/संशोधित तिथि प्राप्त होने के बाद वे सम्बन्धित पायलट को ट्रेनिंग पर प्रस्थान करने हेतु अनुमति प्रदान करें। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि (02 दिन) तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में यथा समय शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा।

(4) पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जाएगी।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(7) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष आवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(12) उक्त स्वीकृत धनराशि में से समस्त भुगतान के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(13) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 16/2026/50(1)/छप्पन-2026 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य), अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलटगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in